पत्रांक–2ब० / सड़क–09–01 / 2019 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
शुद्धि पत्र

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन / हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्योदश सं०– 40, दिनांक– 12.07.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

i) कंडिका– 4 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर एवं सिवान के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।

ii) उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर परिषद्, बक्सर एवं सिवान के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

2. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

Sd/- 30.7.19

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब० / सड़क–09–01 / 2019 3978 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 30/07/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा / जिला पदाधिकारी, बक्सर एवं सिवान / प्रबंध निदेशक, बुडको / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर एवं सिवान / कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं सिवान / प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग / योजना एवं विकास विभाग / कार्यपालक अभियंता, बुडको, सिवान / वित्त विभाग (बजट प्रशाखा) / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना / विभागीय लेखापाल / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु / कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 30.7.19

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब०/सड़क–09–01/2019 40 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 31-7-19

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न नगर निकायों में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु देनदारी की राशि ₹216.21064 लाख (दो करोड़ सोलह लाख इक्कीस हजार चौसठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

नगर परिषद्, बक्सर क्षेत्रान्तर्गत पार्क निर्माण एवं नगर परिषद्, सिवान में बस स्टैंड निर्माण संबंधित निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजनाओं को स्तम्भ– 4 में उल्लेखित राज्यादेश द्वारा स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 6 में अंकित राशि आवंटित किया गया था।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर के पत्रांक– 927, दिनांक– 24.05.2019 एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान के पत्रांक– 535, दिनांक– 18.03.2019 द्वारा उक्त आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति एवं किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 8 के अनुरूप देनदारी की कुल राशि ₹216.21064 लाख (दो करोड़ सोलह लाख इक्कीस हजार चौसठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	कुल अवशेष राशि (5–6)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद्, बक्सर	नाथ बाबा मंदिर से ज्योति प्रकाश चौक के बीच पार्क एवं घाट निर्माण कार्य।	73/ 23.10.2018	96.42128	48.21064	48.21064	48.21064
2	नगर परिषद्, सिवान	नगर परिषद्, सिवान क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड का निर्माण कार्य।	81/ 28.02.2014	399.00000	231.00000	168.00000	168.00000
			योग	**495.42128**	**279.21064**	**216.21064**	**216.21064**

118

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹216.21064 लाख (दो करोड़ सोलह लाख इक्कीस हजार चौसठ रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत कुल ₹216.21064 लाख (दो करोड़ सोलह लाख इक्कीस हजार चौसठ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर एवं सिवान होगें,** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 2561, दिनांक—17.04.98 एवं पत्रांक— 256, दिनांक— 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***तालिका के क्रमांक— 02 पर अंकित बस स्टैंड निर्माण की योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जा रहा है, जिस हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान द्वारा निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण बुडको को किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम— 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०— 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 1496, दिनांक— 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०— 573, दिनांक— 16.01.1975 एवं एम 04—15/2009—9736, दिनांक— 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल राशि ₹216.21064 लाख (दो करोड़ सोलह लाख इक्कीस हजार चौसठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या— 48 बजट शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष— 03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष— 192—नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष— 0105—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड— **48-2217031920105,** विषय शीर्ष— 0105.31.05 सहायक अनुदान— परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 7355 वि(2), दिनांक— 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—2ब०/सड़क—09—01/2019 के पृष्ठ सं०—....12....../टि० पर दिनांक—11/07/2019.. को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०—.....13....../टि० पर दिनांक—11/07/2019.... को प्राप्त है ।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, बक्सर एवं सिवान/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर एवं सिवान/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं सिवान तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.07.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/सड़क–09–01/2019 40 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–12.7.19

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, बक्सर एवं सिवान/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर एवं सिवान/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं सिवान/योजना एवं विकास विभाग/कार्यपालक अभियंता, बुडको, सिवान/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.07.19

सरकार के विशेष सचिव।